परिचालन संरक्षा चेतावनी सं0 02/2023

OPERATING SAFETY ALERT NO.02/2023

विषयः स्टेशन पर वाहनों को सुरक्षित करने हेतु सावधानियां ।

दिनांक 07.06.2023 को पूर्व तटीय रेल (ECoR) के खुर्दारोड मंडल के जाजपुर क्योंझर रोड (JJKR) स्टेशन यार्ड पर साइडिंग में सिंडर (Monsoon Reserve) लोडिंग के लिए 33 BOXN स्टेबुल किया गया था । यार्ड में लोड को दो भाग (28 BOXN +05 BOXN) में स्टेबुल किया गया था । दोनों भाग के लोड को नियमानुसार सुरक्षित नहीं किया गया था । अप लाईन में रेल पैनल अनलोडिंग हेतु इंजीनियरिंग ब्लॉक 15:10 बजें से 16:35 बजें तक दिया गया था, जहाँ एजेंसी के मजदूर कार्य कर रहे थे । आंधी–तूफान आने के कारण कार्यरत मजदूर 05 BOXN के नीचे आंधी तूफान से बचने हेतु शरण लिये । तेज हवा और आंधी होने के कारण 28 BOXN के लोड में से 13 BOXN रोल डाउन (Roll Down) होकर अलग स्टेबुल 05 BOXN में टक्कर मार दिया जिसके कारण लगभग 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ।

वाहनों/लोड को दोनों ओर से सुरक्षित नहीं किए जाने के कारण ऐसी भीषण दुर्घटना घटित हुई । अतः सभी मंडलो को निर्देश दिया जाता है कि स्टेशन पर लोड /वाहन/ट्रेन/लोकोमोटिव स्टेबुल करने एवं सुरक्षित करने हेतु निम्नलिखित सावधानियों का अनुपालन सुनिश्चित करें :–

1. लोड /वाहन/ट्रेन के दोनों ओर प्रत्येक छोर पर एक–एक चेन का प्रयोग कर बॉधा एवं तालाबंद किया गया है ।
2. कम से कम चार स्प्रैग/वुडेन वेज का प्रयोग दोनों ओर के सबसे बाहरी जोड़े पहियों के नीचे लगाए गए हैं ।
3. दोनों ओर से कम से कम छह **(6)** वैगनों का हैन्ड ब्रेक पूर्ण रूप से अवश्य कस दिए गए हैं ।
4. स्थिर **(**स्टेबुल**)** किए गए वाहनों/ट्रेन एक साथ जुड़े होने चाहिए । यदि स्टेबुल किया गया लोड किसी कारण से अलग–अलग हों, तो प्रत्येक अलग भाग को सुरक्षित करने के उद्देश्य से अलग लोड माना जाएगा ।
5. प्वाइंट अवश्य ही बाधित लाईन के विरूद्ध और डेड इंड या ट्रैप प्वाइंट **(**यदि उपलब्ध हो**)** के लिए बना दिया गयाहै।
6. 400 में 1 से अधिक चढ़ाई रखने वाले ढलान पर स्टेबुल करने के समय ली जाने वाली अतिरिक्ति सावधानियों जो अनुमोदित विशेष निर्देश के तहत निर्धारित किया गया हो एवं संबंधित स्टेशन के **SWR** में उल्लेखित हो, इनका अनुपालन किया गया है ।

अतः सभी मंडलों को निर्देश दिया जाता है कि सामान्य एवं सहायक नियम 5.23 में उल्लेखित नियम एवं इस संबंध में जारी किए गए अन्य निर्देशों एवं सावधानियों के प्रति संबंधित कर्मचारियों को सजग एवं सतर्क करने के लिए **Counseling Drive** चलाएं ताकि उन्हें संरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके ।

(डा.मनोज सिंह)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

सं0:ईसीआर/परि.संरक्षा/चेतावनी/73/505

दिनांक 09.06.2023

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, महाप्रबंधक/पूमरे, हाजीपुर– महाप्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ हेतु ।
2. प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी/पूमरे, हाजीपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु ।
3. मंडल रेल प्रबंधक– धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ हेतु ।
4. वरि. मंडल परिचालन प्रबंधक– धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु ।